फा.सं.: <u>ओपी-14/1/2021-डीडी (ओजी)</u>
भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली – 110049

दिनांक: 15.09.2021

<u>विज्ञापन सूचना</u>

विषय: "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के कार्यान्वयन में एमओएफपीआई की सहायता के लिए फलों और सब्जियों और समुद्री उत्पादों के लिए विकारी खाद्य की मूल्य श्रृंखला में डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले 2 [दो] परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में ।

निविदा आधार पर इस मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त कर्मियों के चयन के उद्देश्य से पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2 [दो] परामर्शदाताओं को समग्र रूप से और एक परामर्शदाता बिहार राज्य से और दूसरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक राज्यों से नियुक्त किया जाना है।

1. पात्रता

i. बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक राज्यों के बागवानी विभागों से सेवानिवृत्त राज्य सरकार के अधिकारी (निदेशक/उप निदेशक स्तर) ।
ii. सभी परामर्शदाताओं के लिए शैक्षिक योग्यता अधिमानतः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र/खाद्य प्रौद्योगिकी/कृषि क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होगी।
iii. आवेदक के पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र/खाद्य प्रौद्योगिकी/कृषि क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए ।
iv. परामर्शदाताओं के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
v. उत्कृष्ट संचार और पारस्परिक कौशल होना चाहिए।
vi. फलों और सब्जियों और समुद्री उत्पादों के उत्पादन, वितरण और मूल्य श्रृंखला विकास के संबंध में डोमेन विशेषज्ञता होनी चाहिए;
vii. फलों और सब्जियों और समुद्री उत्पादों में एकीकृत मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

2. कार्य की आवश्यकता:

<u>योजना का संक्षिप्त:</u> खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स" लागू कर रहा है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की है;

"कृषि और संबद्ध उत्पादों और उनके निर्यात में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा 22 विकारी खाद्य उत्पादों तक बढ़ाया जाएगा"।

बजट घोषणा के अनुरूप, एमओएफपीआई 22 विकारी खाद्य उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ योजना के दायरे का विस्तार करना चाहता है।

टीओपी फसलों सहित 22 विकारी खाद्य उत्पादों की सूची निम्नानुसार दी गई है।

1) **फूलों (10) –** आम, केला, सेब, अनानास, संतरा, अंगूर, अनोला/ आंवला, अनार, अमरूद, लीची।
2) **सब्जियां (11) –** टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी, सेम, लौकी परिवार [लौकी (लोकी), करेला (करेला), रिज/स्पंज लौकी (तोरई), नुकीली लौकी (परवल) और ऐश लौकी (पेठा)], भिंडी, लहसुन, अदरक

3) **समुद्री उत्पाद (1)** – झींगा

एक केंद्रित मूल्य श्रृंखला कृषि-खाद्य क्षेत्र में चुनौतियों का काफी हद तक समाधान कर सकती है:

i. प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के उच्च स्तर का निर्माण

ii. फसलोत्तर हानि को कम करना

iii. उत्पादकों/किसानों/प्रोसेसरों की आय में वृद्धि

iv. अतिरिक्त रोजगार के अवसर और कृषि-इत्तर रोजगार सृजित करना

v. उत्पादकों/प्रोसेसर को उच्च स्तरीय घरेलू बाजार से जोड़ना

vi. कृषि-खाद्य निर्यात में भागीदारी बढ़ाना और भारतीय कृषि-खाद्य निर्यात की वैश्विक शेयर में वृद्धि करना।

मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत फलों और झींगा के लिए संभावित मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतर की पहचान करने के लिए ग्यारह (11**)** मूल्यांकन अध्ययन को पहले ही सौंप दिया है । अध्ययनों के संदर्भ की शर्तें आपके संदर्भ उद्देश्य के लिए **संलग्नक-II** में दी गई हैं।

संदर्भ की शर्तें/भूमिकाएं और जिम्मेदारियां: "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना से संबंधित आधिकारिक कार्य के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय की सहायता के लिए सलाहकारों को निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी;

i. अपने क्षेत्रों में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत खराब होने वाले उत्पादों के लिए संभावित मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन की निगरानी में सौंपा गया।

ii. बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकार के बागवानी विभागों/किसान उत्पादक संगठनों/उद्योग संघों/व्यापारियों/खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं आदि के साथ क्षेत्रीय नेटवर्क का निर्माण करना।

iii. मंत्रालय को उनके क्षेत्रों में योजना के तहत दीर्घकालिक रणनीति अर्थात मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्य अनुभव के आधार पर फलों और सब्जियों और समुद्री उत्पादों के मूल्य श्रृंखला विकास पर तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

iv. अध्ययन की सिफारिशों को शामिल करके योजना के दिशानिर्देशों के प्रारूपण में सहायता प्रदान करना।

v. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन;

vi. मंत्रालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य

3. नियम और शर्तें:

i. कार्य की अवधि: परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में परामर्शदाता के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति के बाद, मंत्रालय की आवश्यकता और संबंधित परामर्शदाता के कार्य निष्पादन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

ii. परिलब्धियां/पारिश्रमिक: परामर्शदाता (सेवानिवृत्त समूह 'क' सरकारी अधिकारी) को चयनित व्यक्ति द्वारा "आखिरी आहरित वेतन घटा पेंशन की राशि" के समतुल्य परिलब्धियों/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। आहरित परिलब्धियां और पेंशन चयनित व्यक्ति द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए।।

इसके अलावा, चयनित व्यक्ति घर से काम करेगा, इसलिए वह स्थानीय वाहन भत्ते का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, चयनित व्यक्ति कार्य की अवधि के दौरान किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
परामर्शदाता आधिकारिक ईमेल आईडी, सरकारी पहचान पत्र, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, मानक उपकरण के साथ कार्यालय, पुस्तकालय सुविधाओं आदि के लिए पात्र होंगे।

निम्नलिखित सूत्र लागू करके पारिश्रमिक तैयार किया जाएगा:

वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या x परामर्श शुल्क

महीने में कार्य दिवसों की संख्या

iii. **भत्ते:** परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, अगर उन्हें मंत्रालय के आधिकारिक काम के सिलसिले में देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो टीए/डीए उसी ग्रेड के नियमित कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है, जिससे वह सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा।

iv. **अधिकतम आयु सीमा:** परामर्शदाता के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी

v. **अवकाश :** परामर्शदाता एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 8 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुमन्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए परामर्शदाताओं को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। अप्रयुक्त अवकाश को न तो अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और न ही भुनाया जाएगा।

vi. **कार्य के घंटे:** कार्य के घंटे आम तौर पर काम के दिनों के दौरान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है। हालांकि, काम की अत्यावश्यकता में, उसे देर से बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर बुलाया जा सकता है।

vii. **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):** प्रचलित नियमों के अनुसार आयकर या कटौती के लिए उत्तरदायी कोई अन्य कर भुगतान करने से पहले स्रोत पर काटा जाएगा, जिसके लिए विभाग टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। सेवा कर, जैसा लागू हो, प्रचलित दरों पर अतिरिक्त देय होगा।

viii. सलाहकार के रूप में नियुक्ति को पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा।

ix. परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें मंत्रालय में परामर्श की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

x. नियुक्ति सलाहकार विशिष्ट नौकरियों / असाइनमेंट के प्रति अस्थायी (गैर-आधिकारिक) प्रकृति के होते हैं।

xi. परामर्शदाता को एक नियमित केंद्र सरकार के कर्मचारी की उम्मीद के अनुसार मर्यादा, अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

xii. **परामर्श की समाप्ति:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए सलाहकार की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। तथापि, कार्य से इस्तीफा देने से पहले 30 दिनों की अग्रिम सूचना या उसके एवज में पारिश्रमिक देना होगा।

xiii. **डाटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ-साथ डिलिवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास रहेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की व्यक्त लिखित सहमति के बिना, कोई भी किसी तीसरे पक्ष, डेटा या सांख्यिकीविदों के किसी भी भाग या अपने असाइनमेंट के उद्देश्य से एकत्र की गई जानकारी के किसी भी भाग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए असाइनमेंट के दौरान उपयोग या प्रकाशित या प्रकट या भाग नहीं लेगा ।

परामर्शदाता निविदा की समाप्ति से पहले और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने से पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को असाइनमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सौंपने के लिए बाध्य होगा।

xiv. **हित द्वंद्व:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों को प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देगा जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के हित के प्रतिकूल है और न ही वह संविदात्मक कार्य की शर्तों से बाहर किसी गतिविधि में लिप्त होगा ।

xv परामर्शदाता इस मंत्रालय में सेवा के किसी भी लाभ/प्रतिकरण समावेश /नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा ।

4. केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 07/05/21 दिनांक 03-06-2021 के अनुसार सतर्कता स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आवेदक पर विचार किया जाएगा और उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

5. **चयन प्रक्रिया :** मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव, एमओएफपीआई की अध्यक्षता मे सलाहकारों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग सह चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कम से तीन (3) सदस्य, वित्त प्रभाग, कार्मिक प्रभाग और ऑपरेशन ग्रीन्स प्रभाग से एक-एक सदस्य शामिल होंगे जहां परामर्शदाता तैनात (डिप्लोय) किए जाएंगे ।

समिति पहले अपने द्वारा तय मापदंडों के आधार पर आवेदनों को चयनित करेगी। इसके बाद कमेटी चयनित किए गए उम्मीदवारों से वैयक्तिगत बातचीत करेगी। समिति के सभी सदस्य साक्षात्कार लिए गए सलाहकारों को अलग-अलग (10 में से) अंक देंगे । कुल 30 में से अधिकतम अंक हासिल करने वालों की नियुक्ति के लिए समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी। गतिरोध की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6. **आवेदन जमा करना:** इच्छुक व्यक्ति, जो ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों से सहमत हैं, वे इस विज्ञापन सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर ईमेल/पोस्ट द्वारा संलग्न प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी को अपना जीवन-वृत्त (सीवी) जमा करा सकते हैं ।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(परवेश देवी)
उप निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली -110049
दूरभाष न. 011-26406534
ईमेल आईडी - operationgreens-fpi@gov.in

संलग्नक-I

जीवन-वृत्त

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

1.	नाम	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	पत्राचार के लिए पता		
5.	स्थायी पता		
6.	संपर्क विवरण: (दूरभाष न./ मोबाइल न. /ईमेल आईडी)		
7.	निवास-स्थान	:	
8.	राष्ट्रीयता	:	
9.	शैक्षिक योग्यता और अनुभव	:	

शैक्षिक योग्यता का विवरण - कॉलेज डिग्री से आगे				
उत्तीर्ण किया गया कोर्स	**विषय**	**विश्वविद्यालय/संस्थान**	**समाप्ति वर्ष**	**श्रेणी/क्लास**

अनुभव का विवरण				
संगठन	**अवधि**		**पदनाम**	**किए गए कार्य की प्रकृति**
	से	**तक**		

9.	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि पर धारित पद		
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि पर लिए गए अंतिम वेतन का विवरण		
11.	क्या एससी/एसटी/ओबीसी		
12.	क्या उक्त परिपत्र में दर्शाए गए नियमों और शर्तों से सहमत है जिस पर प्रोफार्मा संलग्न है? (आपका उत्तर हां या ना होना चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा)		

(हस्ताक्षर)
नाम और पता

तिथि:
स्थान:

संलग्नक -II

सौंपे गए अध्ययनों के विचारार्थ विषय

अध्ययन में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए:

I. अध्ययन में कृषि उत्पादों के लिए क्लस्टर में केंद्रित कृषि क्षेत्रों में उपज की उत्पादन और अधिशेष मात्रा का विस्तार होना चाहिए जिसके लिए मूल्य श्रृंखला का अध्ययन किया जा रहा है ।

II. अन्य राज्यों और देशों सहित क्लस्टर जिले और बाहर के कृषि उत्पादों के कृषि-लॉजिस्टिक चैनलों और विपणन चैनलों को विस्तार से चित्रित किया जाना चाहिए ।

III. उपज के परिवहन के तरीके, विवरण और जिले के भीतर और बाहर के बाजारों में परिवहन के ऐसे साधनों के अंतराल ।

IV. जिले में उपलब्ध प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा जिसमें ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, पैक्ड हाउस, भंडारण आदि जिले के भीतर उपलब्ध है और उनकी पर्याप्तता, मालिकाना अवसरंचना इत्यादि।

V. जिले में द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाएं/ क्लस्टर, द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं का स्वामित्व चाहे एमएसएमई, प्रसंस्करण सुविधाओं की संख्या, प्रसंस्कृत होने के लिए उत्पादित की जा रही उपज की मात्रा, अंतिम उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है, कोल्ड चेन और कृषि-रसद सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन चैनल और उनकी पर्याप्तता ।

VI. क्लस्टर या आसपास में स्टैंडअलोन परीक्षण सुविधा सहित उचित परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, उनका उपयोग और पर्याप्तता।

VII. जिला/क्लस्टर और बाहर के भीतर कृषि मंडियों की उपलब्धता, कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए उनका उपयोग, कृषि रसद और भंडारण सुविधाओं की पर्याप्तता, ऐसे बाजारों में कृषि उत्पादों को संभालने के लिए कंटेनर आदि ।

VIII. कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता सुविधाएं अवसंरचना और अन्य सहायता प्रदान की जा रही हैं ।

IX. कृषि उपज की मूल्य श्रृंखला, उनके संचालन के स्तर आदि के विभिन्न भागों/विवरणों में लगे एफपीओ, सहकारिता, स्वयं सहायता समूहों और अन्य समूहों का ब्यौरा।

X. कृषि उपज की आवाजाही के लिए रेल परिवहन की उपलब्धता और वास्तविक स्तर का उपयोग।

XI. देश के प्रमुख बाजार स्थल और बाहर जहां कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का परिवहन किया जा रहा है और उसमें इसका ब्यौरा दिया जा रहा है ।

XII. कृषि उत्पादों के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अवसंरचना की कमियां/अपर्याप्तता ।

XIII. खाद्य प्रसंस्करण के लिए चयनित क्लस्टर में उगाई जा रही किस्मों की उपयुक्तता और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उपयुक्त किस्मों को अपनाने के लिए सुझाव।

XIV. क्लस्टर में मूल्य श्रृंखला में पहचाने जा रहे अंतराल में निवेश करने के लिए उद्योग और व्यापार के हित का आकलन।